



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 2,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 76/16 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र कमल सिंह नि0 भेडीडाडा थाना जलालपुर, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के कारावास व ₹ 2,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक
मणिकर्ण शुक्ला



विवेचक-
उ0नि0 रोशन लाल
सरोज



पैरोकार- थाना जलालपुर
हे0का0 मनोज कुमार
यादव